JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Proceedings of Projects and Works Committee Meeting -06/2021-2022

Meeting of Projects and Works Committee 06/2021-22 was held on 10.08.2021 under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner Shri Gaurav Goyal in "**Manthan**" at 11.30 AM. The list of officers who attended the meeting is enclosed. After discussions on the agendas, the decisions made by the committee are as under:

Agenda Item No.	OIC	Subject/Agenda Details	Decision taken	Action to be taken by
1	MS PWC	Compliance report of decision taken in PWC Meeting 04 /2021-22 held on 19.7.2021	The compliance report was perused and acknowledged.	MS PWC
2	MS PWC	Confirmation of proceeding of 4/2021-222 PWC meeting held on 19.7.2021	The Proceedings of 4/2021-22 PWC Meeting were confirmed.	MS PWC/
3	EE-Elect.III	Proposal for A&F sanction for Electrification work in JDA Residential Scheme Anupam Vihar, JDA (Phase-I) amounting to Rs. 4,33,66,269.00	The Agenda was presented by EE-Elect-III. After discussions and deliberations the committee approved the A&F sanction for Electrification work in JDA Residential Scheme Anupam Vihar, JDA (Phase-I) amounting to Rs. 4,33,66,269.00	EE-Elect-III
4	EE-Traffic Works-III	Proposal for approval of A&F for the work "Traffic Improvement and beautification work at Laxmi Mandir Junction on Tonk Road, JDA, Jaipur amounting to Rs.81,25,69,240.00	The Agenda was presented by EE-Traffic Works-III. After discussions and deliberations, the committee approved the A&F for the work "Traffic Improvement and beautification work at Laxmi Mandir Junction on Tonk Road, JDA, Jaipur amounting to Rs.81,25,69,240.00	EE-Traffic Works-III
5	EE-7	Proposal of A&F sanction for the work "Renewal of remaining roads in Kardhani Scheme, Zone-7, JD, Jaipur amounting to Rs. 2,42,68,577.00	The Agenda was presented by EE-7. After discussions and deliberations, the committee approved the A&F sanction for the work "Renewal of remaining roads in Kardhani Scheme, Zone-7, JD, Jaipur amounting to Rs. 2,42,68,577.00	EE-7

6	DC-6	झोटवाड़ा पुलिया से प्रभावित दुकानो को खसरा न0 195/1301 की भूमि पर पुर्नवासित करने हेतु नवसृजित महात्मा ज्योतिबा फूले योजना का संशोधित मानचित्र अनुमोदन की कार्योतर स्वीकृति करने बाबत।	उपायुक्त–6 द्वारा झोटवाड़ा पुलिया से प्रभावित दुकानो को खसरा न0 195/1301 की भूमि पर पुर्नवासित करने हेतु नवसृजित महात्मा ज्योतिबा फूले योजना का संशोधित मानचित्र अनुमोदन की कार्योतर स्वीकृति बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण पर विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा झोटवाड़ा पुलिया से प्रभावित दुकानो को खसरा न0 195/1301 की भूमि पर पुर्नवासित करने हेतु नवसृजित महात्मा ज्योतिबा फूले योजना का संशोधित मानचित्र अनुमोदन की कार्योतर स्वीकृति जारी की गयी।	DC-6
7	DC-3	लालकोठी योजना में स्थित विधायक नगर (पूर्व) की भूमि पर रि–डवलपमेन्ट प्लानिंग को पीडब्ल्यूसी मीटिंग 4/2019–20 दिनांक 06.03.2020 को **in principal approval** की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी संशोधित प्लानिंग की स्वीकृति के संबंध में।	उपायुक्त–3 द्वारा समिति के समक्ष लालकोठी योजना में स्थित विधायक नगर (पूर्व) की भूमि पर रि–डवलपमेन्ट प्लानिंग को पीडब्ल्यूसी मीटिंग 4/2019–20 दिनांक 06.03.2020 को **in principal approval** की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी संशोधित प्लानिंग की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:– विधायक नगर (पूर्व) लालकोठी की भूमि की रि–प्लानिंग के संबंध में निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.8(19)नविवि/राआम/2021 पार्ट जयपुर दिनांक 18.6.2021 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए (क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर लगभग) पार्क से लगते हुए 80 फीट चौड़ी सड़क (जनपथ रोड) पर रिजर्व रखी जावे साथ ही पार्क को वर्तमान स्थिति अनुसार यथावत रखा जावे एवं शेष बची भूमि पर स्वतंत्र भूखण्ड (छोटे प्लॉट लगभग 150–350 वर्गमीटर) प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखते हुए (अधीकतम 15 मीटर उॅचाई तक) प्लानिंग का अनुमोदन किया गया।	DC-3
8	DC-8	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स(ट्रक टर्मिनल) में मैन अजमेर रोड पर स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डो की रिप्लानिंग एवं व्यावसायिक भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के कम में	उपायुक्त –8 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स(ट्रक टर्मिनल) में मैन अजमेर रोड पर स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डो की रिप्लानिंग एवं व्यावसायिक भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के कम में निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात निम्न निर्णय लिया गया:– 1. जविप्रा की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स में स्थित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डो का भू उपयोग जोनल प्लान के अनुसार व्यावसायिक भू–उपयोग निर्धारित होने के कारण योजना में स्थित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डो (पूर्व में आंवटित भूखण्ड एवं आवंटन हेतु पूर्व भू–उपयोग अनुसार **committed** भूखण्डो को छोड़ कर शेष भूखण्ड) जो मुख्य अजमेर रोड पर स्थित है का भू–उपयोग व्यवसायिक एवं 90 मी. व 60 मी. सड़को के मध्य नियोजित शेष भूखण्डो का मिश्रित भू– उपयोग निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. योजना में स्थित भूखण्ड जी–12 का **replan** कर नव भूखण्ड सं0 जी–12 एवं जी–12ए किये जाने का निर्णय लिया गया।	DC-8

9	**DC-2**	राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा खसरा न0 18,19,22/320 की भूमि पर प्रस्तावित योजना अम्बा नगर के मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	उपायुक्त–2 द्वारा राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा खसरा न0 18,19,22/320 की भूमि पर प्रस्तावित योजना अम्बा नगर के मानचित्र के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया । विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा अम्बा नगर के मानचित्र का अनुमोदन किया गया। साथ ही ले आउट प्लान के अनुसार **Retaining wall** व आन्तरिक विकास कार्य अधिशाषी अभियंता जोन–2 द्वारा किये जायेंगे।	**DC-2**
10	**DC-6**	मंत्रीमण्डलीय एम्पार्वड कमेटी की बैठक दिनांक 14.02.2021 में लोहामण्डी योजना के कियान्वयन बाबत लिये गये निर्णय के कम में योजना मानचित्र का रिवीजन व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की सड़को की रि–एलाईमेन्ट कर योजना की रि–प्लानिंग अनुमोदन बाबत।	उपायुक्त–6 द्वारा मंत्रीमण्डलीय एम्पार्वड कमेटी की बैठक दिनांक 14.02.2021 में लोहामण्डी योजना के कियान्वयन बाबत लिये गये निर्णय के कम में योजना मानचित्र का रिवीजन व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की सडको की रि–एलाईमेन्ट कर योजना की रि–प्लानिंग अनुमोदन बाबत समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये ः– 1 नगरीय विकास विभाग के लिये गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 14.02.2021 में जयपुर विकास प्राधिकरण की लोहामण्डी योजना के सम्बन्ध में योजना की रि–प्लानिंग की जाकर अवाप्तशुदा भूमि के खातेदारो को विकसित भूमि आवंटन बाबत निर्णय लिया गया था, जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2021 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है। 2 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में योजना के कियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति की 232वी बैठक दिनांक 27.05.2021 में प्रस्ताव लिया जाकर योजना के प्रस्तावित भू–उपयोग के सम्बन्ध में एवं योजना हेतु अवाप्त भूमि के खातेदारो को मुआवजे स्वरूप 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने के निर्णय के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने एवं विकास कार्यो की लागत को ध्यान में रखते हुए योजना की **Viability** के लिये योजना मानचित्र का रिविजन तथा जोनल प्लान की योजनान्तर्गत आन्तरिक सडको का रि–अलाईमेंट/शिफ्टिंग के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। 3 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को पत्र जारी कर प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अनिल मेहता की राय लेकर नगरीय विकास विभाग को भिजवाने हेतु सूचित किया गया था। प्रकरण के भू–उपयोग के सम्बन्ध में अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा उक्त योजना को व्यापक जनहित में विकसित किये जाने में किसी भी प्रकार की कानूनी अडचन न होने सम्बन्धी राय प्रस्तुत की थी। 4 राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक प. 1(7)नविवि/जयपुर/2020 दिनांक ० 22.07.2021 के अनुसार लोहामण्डी योजना के सम्बन्ध में मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 14.02.2021 में लिये गये निर्णय की नियमानुसार कियान्विति हेतु श्री अनिल मेहता अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त राय को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी गई है।	**DC-6**

			5 उक्तानुसार योजना मानचित्र में रिविजन कर आवश्यक भूखण्डो के सृजन व योजना में अवस्थित सडको का रि–अलाईमेंट एवं शिफ्टिंग करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गयेः– (अ) लोहामण्डी योजना के अन्तर्गत रोड अलाईमेंट में किये गये बदलाव एवं फेज द्वितीय में आवंटित व्यावसायिक भूखण्डो की स्थिति में संशोधन के सम्बन्ध में जोन उपायुक्त द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर सात दिवस के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाकर निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का जोन स्तरीय कमेटी द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर रिपोर्ट/प्रस्ताव आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जावे। (ब) लोहामण्डी योजना के अन्तर्गत आनेवाली दी जयपुर वाल्मिकी गृ.नि.स.स.लि. की स्वीकृत योजना जीकेबी विहार स्थित ग्राम माचडा तहसील आमेर के ख.न. 658 रकबा 0.42 हैक्टे. भूमि की 90–ए सुओमोटो की कार्यवाही प्रकरण संख्या 09/2017 दिनांक 13.12.2017 को की जा चुकी है। योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर के तहत जोन स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 11.01.2018 में किया गया। ऐसी स्थिति में भूं–उपयोग के विपरीत 90–ए की कार्यवाही की वैधानिकता का परीक्षण आवश्यक है। अतः लोहामण्डी योजना में जीकेबी विहार योजना के प्रभावित क्षेत्रफल को वर्तमान में रिजर्व रखा जावे तथा प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यो सहित राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाने का निर्णय लिया गया।	
11	**DC-12**	ग्राम हाथोज तहसील जयपुर में जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज करधनी विस्तार के डी ब्लाक में सशोधन एवं पूर्वी दिशा की ओर जविप्रा स्वामित्व के खसरा न0 61 की आंशिक भूमि पर आवासीय भूखण्ड सृजित कर योजना में सम्मिलित कर पार्ट प्लान अनुमोदन बाबत।	उपायुक्त–12 द्वारा ग्राम हाथोज तहसील जयपुर में जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज करधनी विस्तार के डी ब्लाक में सशोधन एवं पूर्वी दिशा की ओर जविप्रा स्वामित्व के खसरा न0 61 की आंशिक भूमि पर आवासीय भूखण्ड सृजित कर योजना में सम्मिलित कर पार्ट प्लान अनुमोदन बाबत प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया :– जविप्रा की योजना हाथोज विस्तार के डी–ब्लाक में स्थित सड़क से प्रभावित भूखण्डो को ब्लॉक के पूर्व दिशा की ओर जविप्रा स्वामित्व की भूमि जो कि योजना सीमा के बाहर है, मे आवासीय भूखण्ड सृजित कर योजना में सम्मिलित कर पार्ट प्लान का अनुमोदन किया गया।	**DC-12**

12	DC-12	ग्राम सरनाचौड तहसील जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर घुमन्तु/अर्द्वघुमन्तु विमुक्त जातियों के लोगो को 50 वर्गगज के भूखण्ड आंवटन हेतु सरनाचौड आवासीय योजना सृजित किये जाने बाबत।	उपायुक्त–12 द्वारा ग्राम सरनाचौड तहसील जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर घुमन्तु/अर्द्वघुमन्तु विमुक्त जातियों के लोगो को 50 वर्गगज के भूखण्ड आंवटन हेतु सरनाचौड आवासीय योजना सृजित किये जाने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:– 1. ग्राम सरनाचौड तहसील जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर घुमन्तु/अर्द्वघुमन्तु विमुक्त जातियो के लोगो को 50 वर्गगज के भूखण्ड आंवटन हेतु सरनाचौड आवासीय योजना सृजित कर मानचित्र को अनुमोदन किया गया। 2. योजना में प्रस्तावित common work space के स्थान पर उक्त भूमि को common facility and skill development centre हेतु आरक्षित किया जावे।	DC-12

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

(Niranjan Mathur)
Addl. Chief Engineer-IV &
MS PWC.

No.JDA/EE-5/PWC/2020-21/D-251
Dated: 17-8-21

Copy to following for kind perusal and necessary action:

1. P.S. to Jaipur Development Commissioner, Jaipur.
2. P.S. to Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur.
3. P.S. to Collector, Jaipur
4. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur.
5. Director (Engineering-I), Jaipur Development Authority, Jaipur.
6. Director (Engineering-II), Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Director (Finance),Jaipur Development Authority, Jaipur.
8. Director (T.P.),Jaipur Development Authority, Jaipur.
9. Addl. Chief Engineer, I/II/III/V/VI, Electrical, JDA, Jaipur
10. Addl. Commissioner (East/West/LPC/ Land/Admn, JDA, Jaipur.
11. S.E.-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII,XIV,Electrical, JDA, Jaipur.
12. Deputy Commissioner ( ), Jaipur Development Authority, Jaipur.
15. Executive Engineer ( ), Jaipur Development Authority, Jaipur.
16. PRO, Jaipur Development Authority, Jaipur.
17. System Analyst, JDA, Jaipur. /PMIS Cell

Executive Engineer-5,
JDA, Jaipur